

27/10

04/10/19

04/10/19

वकील प्रार्थी द्वारा अज्ञाती के जवाब लिखित जाकर पत्रावली दिनांक 11/10/2019 को पेश की।

11/10/19

वकील प्रार्थी द्वारा अज्ञाती का जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली दिनांक 03 अक्टूबर-19 पेश हुई जो शामिल पत्रावली दिनांक 14/10/2019 को पेश की।

14/10/19


पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में अंडिस तथ्यों को दोहराते हुए मुलाखत जवाब धूमिली तथा मुलाखत अनुसूच शर्मा-का प्रतीक पर राजा-व रेणु में हुकमी हुदमाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजा-व रेणु जवाब अज्ञाती व प्रस्तुत ज्ञानावेजान व शक्य-पत्रों का अवलोकन किया गया। मुंडि अज्ञाती के पहचान के दानावेजान एवं यथा परिकार शशन कार्ड, बैंक पास पास उड, अतदार पहचान पत्र, आमाशाह कार्ड, आधार कार्ड आदि में अज्ञाती का नाम "धूमराम सुधुंधाराम" दर्ज है। सरपंच ग्राम, पंचायत दानावेजान

ने भी इस तथ्य की गहरीद की है लख
 ही अग्रणी भूमिदारी तहसीलदार जखेक
 ने भी मजसे आम में की गई वृद्धता
 के आधार पर प्राची का नाम "मंगलाराम
 पुत्र झुंचाराम" के ल्यान पर "धुंजाराम
 पुत्र झुंचाराम" पुकान्त छिजे जाने की
 अमिरीय की है अतः उक्त तथ्यो
 के आलोड में प्राची का वर्तन - उक्त
 लीकार छिजा जात है तला आदेश
 दिया जात है कि :-

निर्णय

तन ग्राम खेडी चारवान पां हा जामोद
 तहसील जखेल जिला सीडर (यज) जिले
 कछि भूमि का नं० 86, 87, 92 रकबा
 4.30 है में प्राची का नाम "धुंजाराम
 पुत्र झुंचाराम", "मंगलाराम पुत्र झुंचाराम"
 के ल्यान पर पुकान्त छिजा जात है।
 उक्तनुसार राजान रेकर्ड में अमल
 परामद हेतु तहसीलदार जखेल को
 तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली
 कुतल सुमार होकर नम्बर कि उक्त हो
 तला उक्त तहसील कछि उक्त हो।
 निर्णय काज दिनांक 14/10/2019 के पुले
 न्यायालय में सुनाया गया।



for
 14/10/19
 (२०१९/१०/१९)
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)